इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2014—श्रावण 10, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2014

क्र. ई-5-525-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आएएस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 4 से दिनांक 7 जुलाई 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्र. एफ-85-10-(मण्डी)-मण्डी निर्वा.-2014-15-60.—मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर, दमोह मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम-2010 के अन्तर्गत दमोह जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नाम-निर्दिष्ट करता हूं:—

क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	171—दमोह	07—दमोह संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद द्वारा नामनिर्दिष्ट:— 1. प्रद्युम्नसिंह/प्रताप नारायण सिंह, हिंडोरिया, जिला दमोह	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)
2	174—हटा	57—हटा विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित विधान सभा सदस्य द्वारा नामनिर्दिष्ट:— 1. कमलेश चौदहा/स्व. श्री शालिगराम चौदहा, ग्राम व पो. मड़ियादो, तह. हटा, जिला दमोह.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)
3	171—दमोह	1. रविशंकर गुप्ता, सहायक संचालक, कृषि दमोह	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)
4	171—दमोह	सहकारी विपणन सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा 1. देवेन्द्र कुमार सेठ/ गुलाबचंद सेठ, पुराना बाजार नं. 01, दमोह	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी-2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2014

क्र. फा.नं. 4-वि.सेवा-राविसेप्रा.-14.—मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 3 फरवरी 2014 में पारित प्रस्ताव अनुसार विधिक सहायता अधिवक्ताओं को देय मानदेय/ शुल्क पुनरीक्षित किया गया, जो निम्नानुसार है:—

अ— (i) जिला एवं सत्र न्यायालय के लिये—

(1) सत्र प्रकरण : —रुपये 4,000/- से 6,000/-
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित)

विशेष मामले जैसे—एन.डी.पी.एस. अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम इत्यादि, जो सत्र न्यायालयों या विशेष न्यायालयों में सत्र न्यायाधीश द्वारा (विद्युत् मामलों को छोड़कर) अनन्यत: विचारण किये जाते हैं, सत्र मामलों की भांति शुल्क देय होगा.

(2) सत्र प्रकरणों के अतिरिक्त एवं विशेष प्रकरण —रुपये 2,000/-

(3) व्यवहार वाद—ए श्रेणी वाद —रुपये 3,000/-
बी श्रेणी वाद —रुपये 1,500/-

(4)	व्यवहार अपील—ए श्रेणी वाद	—रुपये 3,000/-
	बी श्रेणी वाद	—रुपये 1,500/-
(5)	वैवाहिक प्रकरण	—रुपये 1,100/-
(6)	मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण	—रुपये 1,100/-
(7)	जमानत आवेदन	—रुपये 1,100/-
(8)	आपराधिक पुनरीक्षण	—रुपये 1,100/-
(9)	दाण्डिक अपील	—रुपये 2,000/-
(10)	एम. जे. सी.	—रुपये 1,100/-

(ii) व्यवहार न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए:—

(1)	दीवानी वाद—ए श्रेणी वाद	—रुपये 3,000/-
	बी श्रेणी वाद	—रुपये 1,500/-
(2)	आपराधिक मामले	—रुपये 1,500/-
(3)	भरण पोषण मामले	—रुपये 1,100/-
(4)	जमानत आवेदन	—रुपये 500/-
(5)	एम. जे. सी.	—रुपये 500/-

(iii) राजस्व न्यायालयों के लिए:—

(1)	राजस्व मण्डल	—रुपये 1,100/-
(2)	आयुक्त	—रुपये 1,100/-
(3)	कलेक्टर	—रुपये 1,100/-
(4)	एस.डी.ओ./एस.डी.एम.	—रुपये 1,100/-
(5)	तहसीलदार	—रुपये 1,100/-

(iv) अन्य न्यायालयों के लिए:—

(1)	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/अधिकरण	—रुपये 1,100/-
(2)	श्रम न्यायालय	—रुपये 1,100/-
(3)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम	—रुपये 1,100/-

(v) **अन्य प्रकरण.**—जो प्रकरण उपरोक्त अंतर्गत नहीं आते एवं जिन मामलों में विधिक सहायता म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997 के विनियम, 15 के उपबंधों के सिवाय, नहीं दी जा सकती, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को उपरोक्तानुसार निश्चित मानदेय की अनुसूची एवं मध्यप्रदेश दीवानी न्यायालय नियम (नियमों एवं आदेशों) को विचार में रखते हुए विधिक पारिश्रमिक निश्चित करने की शक्ति होगी.

(vi) **मुद्रण एवं प्रकीर्ण व्यय:—**

1. विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा जो वास्तविक आनुषांगिक व्यय किए जाते हैं ऐसे विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा प्रमाण-पत्र, जो देयकों द्वारा समर्थित हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी. यदि ऐसे अनुषांगिक व्यय देयकों द्वारा समर्थित नहीं है तो अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकरण की प्रकृति को एवं अनुमानित खर्चे को ध्यान में रखते हुए उचित राशि निश्चित कर, प्रतिपूर्ति कर सकता है.

2. ऐसे प्रकरण में जहां एक से अधिक व्यक्ति विधिक सहायता से लाभांवित है, एकल मानदेय (Single set of honorarium) देय होगा.

ब—उच्च न्यायालय के लिए

भाग—1 दीवानी कार्य

डिवीजन 1, दीवानी अपील जो मूल डिक्री या अपीलीय डिक्री से उद्‌भूत हो	—रुपये	3,000/-
डिवीजन 2, प्रकीर्ण अपीलें	—रुपये	1,500/-
डिवीजन 3 ए, दीवानी पुनरीक्षण एवं रिट याचिकायें जो सिविल प्रक्रिया संहिता से उद्‌भूत हो	—रुपये	1,500/-
डिवीजन 3 बी, किराया पुनरीक्षण	—रुपये	1,500/-
डिवीजन 4, रिट याचिकायें जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत हो	—रुपये	2,000/-

भाग—2 आपराधिक कार्य

डिवीजन 1 आपराधिक अपीलें

अ—मृत्युदण्ड से संबंधित अपीलें	—रुपये	5,000/-
ब—आजीवन कारावास से संबंधित अपीलें	—रुपये	4,000/-
स—अन्य अपीलें (अ एवं ब के अतिरिक्त)	—रुपये	2,000/-
डिवीजन 2 आपराधिक पुनरीक्षण	—रुपये	1,500/-
डिवीजन 3 विविध आवेदन, प्रकीर्ण आपराधिक प्रकरणों सहित	—रुपये	1,000/-

भाग—3 विविध प्रकीर्ण प्रक्रियायें

डिवीजन 1, एल.पी.ए. एवं रिट अपीलें	—रुपये	2,000/-
डिवीजन 2, निर्णय/आदेशों का पुनर्वलोकन	—रुपये	500/-
डिवीजन 3, अन्य प्रकरण		

जो प्रकरण उपरोक्त अंतर्गत नहीं आते एवं जिन मामलों में विधिक सहायता म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997 के विनियम, 15 के उपबन्धों के सिवाय, नहीं दी जा सकती, अध्यक्ष को मानदेय की अनुसूची एवं म.प्र. दीवानी न्यायालय नियम (नियमों एवं आदेशों) को विचार में रखते हुए उपरोक्तानुसार विधिक पारिश्रमिक निश्चित करने की शक्ति होगी.

डिवीजन—4—आनुषांगिक व्यय एवं प्रकीर्ण मामलें

1. विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा जो वास्तविक आनुषांगिक व्यय किए जाते हैं ऐसे विधिक सहायता अधिवक्ता द्वारा प्रमाण-पत्र जो देयकों द्वारा समर्थित हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी. यदि ऐसे अनुषांगिक व्यय देयकों द्वारा समर्थित नहीं है तो सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति प्रकरण की प्रकृति को एवं अनुमानित खर्चे को ध्यान में रखते हुए उचित राशि निश्चित कर, प्रतिपूर्ति कर सकता है.

2. ऐसे प्रकरणों में जहां एक से अधिक व्यक्ति विधिक सहायता से लाभांवित हैं, एकल मानदेय (Single set of honorarium) देय होगा.

दिनेश कुमार नायक, सदस्य-सचिव.

Jabalpur the 25th June, 2014

F-No.4-Leg.Ad.–SLSA-2014.—The Madhya Pradesh State Legal Services Authority in its meeting dated 3rd February, 2014 resolved that the honorarium/fee payable to the Panel Lawyears be revised as under:—

A—(i) For District & Sessions Court:

(1)	Session Trail:	Rs. 4,000/- to 6,000/- to be Determined by the chairman, DLSA

Special cases under NDPS Act, Prevention of corruption Act, SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, etc Which are exclusively triable by Court of Session or Special court presided by Sessions Judge (other than Electricity Cases) in category of Sessions trial.

(2)	Other than sessions trail & Special cases	Rs. 2,000/-
(3)	Civil Suits A-Class Suits	Rs. 3,000/-
	B-Class Suits	Rs. 1,500/-
(4)	Civil Appeal A-Class Suits	Rs. 3,000/-
	B-Class Suits	Rs. 1,500/-
(5)	Matrimonial Cases:	Rs. 1,100/-
(6)	Motor Accident Claim petition:	Rs. 1,100/-
(7)	Criminal Revision:	Rs. 1,100/-
(8)	Bail Application:	Rs. 1,100/-
(9)	Criminal Appeals:	Rs. 2,000/-
(10)	MJC:	Rs. 1,100/-

(ii) For the Courts of Civil Judge/Judicial Magistrate

(1)	Civil Suits A-Class	Rs. 3,000/-
	B-Class	Rs. 1,500/-
(2)	Criminal Cases:	Rs. 1,500/-
(3)	Maintenance:	Rs. 1,100/-
(4)	Bail Application:	Rs. 500/-
(5)	MJC:	Rs. 500/-

(iii) For Revenue Courts

(1)	**Revenue Board:**	Rs. 1,100/-
(2)	Commissioner:	Rs. 1,100/-
(3)	Collector:	Rs. 1,100/-
(4)	SDO/SDM:	Rs. 1,100/-
(5)	Tehsildar:	Rs. 1,100/-

(iv) For other Courts

(1)	State Consumer Disputes Redressal Commission/Tribunal:	Rs. 1,100/-
(2)	Labour Courts:	Rs. 1,100/-
(3)	District Consumer Disputes:	Rs. 1,100/-

(v) Other cases:—The Cases not covered as above and in cases in which no legal aid can be grasnted except as per the provisions of Regulation 15 of the M. P. State Legal Services Authority Regulations, 1997, the Chairman of DLSA shall have power to the fix the legal remuneration by way of honorarium keeping in view the schedule of honorarium fixed as above and M. P. Civil court Rules (Rules & Orders).

(vi) Typing Mise. charges:—

(1) Actual incidental expenditure incurred by the legal aid Advocate will be reimbursed provided it is supported by the vouchers and a certificate is given to that effect by such Legal Aid Advocate. If the incidental expenditure is not supported by the vouchers, Chairmain, DLSA may fix and reimbuers a reasonable sum considering the approximate expenditure which might have occurred looking to the nature of the case.

(2) Single set of honorarium shall be payable in cases in which more than one aided person is involved.

B for High Court:

PART—I Civil Work**

Division 1, Civil Appeals:

Civil Appeals arising from th original Decree or from applleant decree:	Rs. 3,000/-
Division 2, Misc. Appeals:	Rs. 1,500/-
Division 3-A, Civil Revisions and writ Petitions arising out of C. P. C.:	Rs. 1,500/-
Division 3-B, Rent Revisions:	Rs. 1,500/-
Division 4, Writ Petitions Under Articles 226/2267 of Constitution of India	Rs. 2,000/-

PART—II Civil Work**

Division 1, Criminal Appeals:

A—Appeals involving death sentence:	Rs. 5,000/-
B—Appeals involving imprisonment for Life:	Rs. 4,000/-
C—Appeals other than mentioned at: S. No. A, B	Rs. 2,000/-
Division 2, Criminal Revision	Rs. 1500/-

3

Division 3, Misc Application Inclusing M. Cr. C.	Rs. 1000/-

PART—III MISC. PROCEEDINGS**

Division 1, L. P.AS & Writ Appeals	Rs. 2,000/-
Division 2, Review of Judgment/Order	Rs. 500/-
Division 3, other cases:	

The cases not covered as above and in cases in which no legal aid can be granted except as per the provision of Regulation 15 of the M. P. State Legal Service Authority Regulation, 1997 the Chairman shall have power to fix the legal remureration by way of honorarium keeping in view the schedule honorarium fixed as above and M. P. Civil Court Rules (Rules & Order).

Division 4—Incidental Expenditure and Miscellaneous matters:

(1) Actual incident expenditure incurred by the legal aid advocate will be reimbursed provided it is supported by the vouchers and a certificate is given to that effect by such Legal Aid Advocates. If the incidental expenditure is not supported by the vouchers, Secretary High Court Legal Services Committe may fix and reaimburse a resonable sum considering the approximate which might have occurred looking to the nature of the case.

(2) Single set of honorarium shall be payable in cases in which more than one aided person is involved.

DINESH KUMAR NAIK, Member Secretary.